संख्या-503/2018/412/22-2-2018-17(90)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 15 जून, 2018**

विषय केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुंवर पुत्र श्री छेद्दा, निवासी जनपद-कानपुर देहात की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9239/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-17-11-2016) दिनांक-13-03-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 13-03-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कुंवर पुत्र श्री छेद्दा, निवासी- समस्तपुर न्योराज, थाना-ककवन, जनपद-कानपुरदेहात का रहने वाला है। भूमि विवाद के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 07-04-1977 को दोपहर में लाठी, कुल्हाड़ी, बसुला आदि से मार कर बुधई एवं उसकी पत्नी श्रीमती भानुमति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-**199** /97 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश नान मेटोपोलिटन क्षेत्र, कानपुर के आदेश दिनांक 24.11.1978 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.1993 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा में यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11-11-2016 तक 13 वर्ष 08 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 01 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, **जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु** पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 07-04-1977 को भूमि विवाद में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दोपहर में लाठी, कुल्हाड़ी, बसुला आदि से मार कर 02 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी के स्वास्थ्य एवं मानसिक दशा संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में समयपूर्व मुक्ति नहीं की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुंवर पुत्र श्री छेद्दा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कुंवर (बन्दी संख्या-23939) पुत्र श्री छेद्दा, निवासी जनपद-कानपुर देहात के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-503/2018/412(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर देहात।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-503/2018/412/22-2-2018-17(90)/2018
दिनांक 15 जून, 2018 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुंवर (बन्दी संख्या-23939) पुत्र श्री छेद्दा, निवासी-समस्तपुर न्योराज, थाना-ककवन, जनपद-कानपुरदेहात का रहने वाला है। भूमि विवाद के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 07-04-1977 को दोपहर में लाठी**,** कुल्हाड़ी**,** बसुला आदि से मार कर बुधई एवं उसकी पत्नी श्रीमती भानुमति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-**199**/97 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश नान मेटोपोलिटन क्षेत्र, कानपुर के आदेश दिनांक 24.11.1978 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.1993 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा में यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11-11-2016 तक 13 वर्ष 08 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 01 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी**, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु** पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 07-04-1977 को भूमि विवाद में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दोपहर में लाठी**,** कुल्हाड़ी**,** बसुला आदि से मार कर 02 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी के स्वास्थ्य एवं मानसिक दशा संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में समयपूर्व मुक्ति नहीं की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुंवर पुत्र श्री छेद्दा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in